## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–29.12.2021

मुकदमा नम्बर 08 / 2021

गुड्डू कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदकगण

बनाम

1. तीजू देवी पत्नी महावीर
2. नेमीचन्द पुत्र महाबीर
3. रहीश पुत्र महावीर
4. विनोद पुत्र महावीर
5. महेश पुत्र मोहनलाल
6. रवि पुत्र मोहनलाल
   जाति मेघवाल निवासीगण श्यामाना जोहड पुरोहित की ढाणी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

–अनावेदकगण

**वकील वादी** : – **श्री अशोक कुमार जांगिड़**

**वकील प्रति. नं.** :– **एकपक्षीय**

**प्रार्थना बाबत अं. धारा 111, 128**
**भू–राजस्व अधिनियम**

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक– 25.07.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम देवीपुरा की सरदह में स्थित खसर नम्बर 880 रकबा 1.00 हैक्टर आवेदिका की खातेदारी काश्त की भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसकी नकल जमाबंदी व नकल नक्शा ट्रेश संलग्न है। आवेदिका की खातेदार काश्त की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 1.00 हैकअर के पश्चिम में अनावेदगण नम्बर 01 लगायत 06 की खातेदारी काश्त की भूमि है जो ग्राम देवीपुरा में स्थित है।

उपरोक्त वर्णित आवेदिका की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 1.00 हैक्अर का विधि अनुसार हल्का पटवारी हल्का देवीपुरा से दिनांक 08.01.2018 को सीमाज्ञान करवाया था और प्रार्थीया उक्त सीमा ज्ञान अनुसार अपने खेत पर पत्थर गड्डी करना चाहती है, परन्तु अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 6 प्रार्थीया के खेत की पश्चिमी सीमा पर पत्थर गड्डी नही करने दे रहे है। सीमाज्ञान के अनुसार निर्धारित सीमा चिन्ह पर फिक्स कर वहां पर पत्थर गड़वाना चाहती है ताकि भविष्य में इस सीमा को लेकर कोई मनमुटाव नही हो तथा प्रार्थीया अपनी भूमि को शांतिपूर्वक काश्त कर सके तथा आने जाने का रास्ता साफ हो सके। परन्तु अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 6 सीमाज्ञान अनुसार पत्थर गड्डी नही करने दे रहे है तथा अपनी जिद पर अड़े हुये है और धमकी देते है, सीमा पर आते ही मरने मारने पर उतारू हो जाते है तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया की खातेदार काश्त की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 1.00 हैक्टर की पत्थरगड्डी का तमाम खर्चा आवेदिका वहन करने को तैयार है तथा जो भी पत्थर गाडने की सामग्री व मजदूर वगैर उपलब्ध करवाने होंगे वह उपलब्ध करवाने को तैयार है। अगर अनावेदकगण संख्या नम्बर 01 लगायत 06 मौके पर पटवारी हल्का

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

पत्थर गड्डी करने में बाधा पैदा करते है तो न्यायालय के आदेश की पालना में पुलिस जाप्ता भिजवाया जाता तो उसका खर्चा भी प्रार्थीया वहन करने को तैयार है।

आवेदकगण द्वारा प्रर्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया/आवेदिका की भूमि खसरा नम्बर 880 रकबा 1.00 हैक्टर वाके ग्राम देवीपुरा की पश्चिमी सीमा में पत्थर गड्डी कर पीलर वगैरह सीमाज्ञान अनुसार निश्चित सीमा पर पत्थर गड्डी करने का आदेश फरमाया जावे। अगर अनावेदक नम्बर 01 लगायत 06 पत्थर गड्डी में कोई बाधा करते है तो पुलिस इमदाद की आवश्यकता होतो वह भी उपलब्ध करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदगगण संख्या 01 लगायत 7 बावजूद तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षयी कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील आवेदकगण सुनी गई। विद्वान आवेदकगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा दिनांक 08.01.2018 को करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 08.01.2018 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि मे पत्थरगड्डी करवाने का अधिकारी है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 880 रकबा 1.00 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 08.01.2018 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में आवेदकगण द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के पश्चिमी सीमाओं पर पत्थरगड्डी करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 08.01.2018 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25-07-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्र. सी. ई. (फा. ट्रे.)
दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested